संख्या 16 /XXVII(7) सा0बीमा/2005

प्रेषक,

इन्दु कुमार पाण्डे,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष तथा,
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तरांचल।

वित्त अनुभाग – 7

देहरादून, दिनांक : 24 अक्टूबर, 2005

विषयः– उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के अन्तर्गत मासिक अभिदान आच्छादन के निमित्त वेतनमानों का वर्गीकरण।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या– बीमा–9 59/दस–93–189 (ए)/89, दिनांक 25 जून, 1993 के सन्दर्भ में मझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (पद मानदण्ड निर्धारण) अनुभाग के शासनादेश संख्या– प0मा0नि0–356/दस–22(एम)/97, दिनांक 23.12.1997 द्वारा दिनांक 01.01.1996 से पुनरीक्षित वेतनमानों को स्वीकृत किये जाने के फलस्वरूप उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 25.06.1993 द्वारा पुराने वेतनमानों के आधार पर किये गये उ0प्र0 राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के अन्तर्गत मासिक अभिदान व आच्छादन के वर्गीकरण उत्पन्न होने वाली विसंगतियों के निराकरण हेतु श्री राज्यपाल महोदय दिनांक 01.01.1996 से लागू पुनरीक्षित वेतनमानों के आधार पर उक्त योजना में निम्न तालिका के अनुसार मासिक अभिदान की कटौती तथा बीमा आच्छादन प्रदान किये जाने के आदेश प्रदान करते हैं :–

क्रमांक	वेतनमान	मासिक अभिदान की दर	बीमा निधि	बचत निधि	बीमा आच्छादन की धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	वेतनमान का अधिकतम रू0 13501 या इससे अधिक	120	36	84	120000
2	वेतनमान का अधिकतम रू0 7000 से 13500 तक	60	18	42	60000
3	वेतनमान का अधिकतम रू0 6999 तक	30	9	21	30000

2– मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उक्त तालिका में अंकित पुनरीक्षित वेतनमानों के अनुरूप मासिक अभिदान की दरों एवं बीमा आच्छादन को निम्नलिखित शर्तों व प्रतिबन्धों के अधीन लागू किया जायेगा :–

(क) उक्त आदेश दिनांक 01.09.2003 से प्रभावी माने जायेंगे।

(ख) जिन कर्मचारियों के पद का वेतनमान दिनांक 01.01.1996 के पूर्व रू0 1350–2200 था तथा दिनांक 01.01.01996 से पुनरीक्षित वेतनमान रू0 4500–7000 हो गया है, के वेतन से दिनांक 31 अगस्त, 2003 तक मासिक अभिदान रू0 30/– की दर से लिया जायेगा तथा बीमा आच्छादन की धनराशि रू0 30,000/– होगी, किन्तु उक्त तिथि के पश्चात् अर्थात् दिनांक 01.09.2003 से उक्त वेतनमान हेतु मासिक अभिदान के दर रू0 60/– तथा बीमा आच्छादन की धनराशि रू0 60,000/– होगी।

(ग) पूर्व में निस्तारित किसी प्रकरण को इस शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में पुर्नजीवित नहीं किया जायेगा।

(घ) वेतनमानों का उक्त वर्गीकरण मात्र सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत कटौती की जाने वाली धनराशि तथा इसके विरुद्ध देय आच्छादन तक ही सीमित है तथा इसका सेवा समूहों के वर्गीकरण से कोई संबंध नहीं है।

(ङ) उ0प्र0 राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के सम्बन्ध में निर्गत समस्त शासनादेश केवल इस सीमा तक ही संशोधित समझे जायेंगे।

भवदीय,

(इन्दु कुमार पाण्डे)
प्रमुख सचिव

संख्या 1(1)/XXVII(7) सा0बीमा/2005 एवं तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2. श्री राज्यपाल सचिवालय।
3. विधान सभा सचिवालय।
4. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
5. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तरांचल, देहरादून।
6. निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल, देहरादून को उनके पत्र संख्या–9390/वि0ले0हा0/मा0 बी0–38/2003, दिनांक 19 सितम्बर, 2005 के सन्दर्भ में।
7. पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, उत्तरांचल, देहरादून।
8. समस्त कोषाधिकारी,उत्तरांचल/इरला चेक/भुगतान व लेखाधिकारी, नई दिल्ली।
9. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0 आई0 सी0, देहरादून एकक, उत्तरांचल।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(टी0 एन0 सिंह)
अपर सचिव